उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 06.11.2026

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा 15 कार्टून (अवैध आतिशबाजी) बरामद कर बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 270/2026 धारा 9B(i)(b) विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



@fatehgarhpolice fatehgarhpolice

मीडिया सेल फतेहगढ़

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना - मऊदरवाजा

दिनांक - 06.11.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त पप्पू उर्फ महाराज सिंह पुत्र बादशाह निवासी स्यौना थाना भोगाँव जनपद मैनपुरी विरुद्ध मु0अ0स0 - 1038/2003 वाद संख्या 213/2004 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय स्पेशल जज गैंगेस्टर कोर्ट द्वारा दिनांक 06.11.2026 को दोषसिद्ध कर अभियुक्त को 02 वर्ष 15 दिवस का साधारण कारावास की सजा व 10,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी - श्री शैलेश कुमार सिंह



को0 मो0 - हे0का0 राजेन्द्र सिंह



पैरोकार - का0 गुलाम गौस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना - मऊदरवाजा

दिनांक - 06.11.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त पप्पू उर्फ महाराज सिंह पुत्र बादशाह निवासी स्यौना थाना भोगाँव जनपद मैनपुरी विरुद्ध मु0अ0स0 - 1038/2003 वाद संख्या 213/2004 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय स्पेशल जज गैंगेस्टर कोर्ट द्वारा दिनांक 06.11.2026 को दोषसिद्ध कर अभियुक्त को 02 वर्ष 15 दिवस का साधारण कारावास की सजा व 10,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी - श्री शैलेश कुमार सिंह



को0 मो0 - हे0का0 राजेन्द्र सिंह



पैरोकार - का0 गुलाम गौस